न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुलसिंह, **R.A.S.**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व वाद संख्याः 333/2019 दायर दिनाँक 08.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, उम्र–67साल, जाति–कायमखानी, निवासी–अलखपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. कासम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, 3. रसूल खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, 4. मोती खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, 5. मुराद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ (फौत), के वारिसान्– 5/1 गुलशनबानो पत्नी स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/2 ताजखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/3 न्याजखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/4 नवाबखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/5 हसीना पुत्री स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/6 जरीना पुत्री स्वर्गीय मुरादखाँ, 6. जड़ावबानो पत्नी स्वर्गीय अलाबदी खाँ, समस्तजाति–कायमखानी, निवासी–अलखपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 **R.T. Act.**

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील, वादी।
2. सुश्री तन्जीम सिद्दीकी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 04, 5/1, 5/5 व 5/6 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 333 / 2019
दायर दिनाँक 08.10.2018, निर्णय दिनाँक 03.10.2019
हमीद खाँ बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

दिनाँक **03.10.2019**

–:: **निर्णय** ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 50 रकबा 03.13 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 21.02 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 28.04 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 07. 03 बीघा भूमि तथा सरहद जाखड़ों का बास में खसरा नम्बर 437 रकबा 07.18 बीघा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में अवस्थित है।

वादग्रस्त उपर्युक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सलेम खाँ अंकित है। वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा– आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पासपोर्ट व राशन कार्ड में वादी का नाम हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ दर्ज है जबकि वादी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ अंकित है।

वादी का नाम, वादी के अन्य दस्तावेजात् में हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ दर्ज होने तथा वादी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ दर्ज होने से वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी के नाम की उक्त भिन्नता के कारण राज्य–सरकार से मिलने वादी सुविधाओं व लाभ से वादी वंचित रह जाता है। वादी, अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ के स्थान पर हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ दुरस्त करवाना चाहता है। लिहाजा, वादी ने वाद बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती का पेश किया है।

प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार डीडवाना के लैण्ड होल्डर होने से उन्हें वाद में महज पक्षकार बनाया गया है जबकि इनसे वादी को कोई रिलिफ नहीं चाहिए।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बिनाय दावा वादी द्वारा दिनाँक 31.08.2018 को नकल खतौनी लेने से पैदा हुआ।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 50 रकबा 03.13 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 21.02 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 28.04 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 07.03 बीघा भूमि तथा सरहद जाखड़ों का बास में खसरा नम्बर 437 रकबा 07.18 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" को "हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 के बावजूद तामिलगी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 02, 5/1 ता 5/6 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। वादी ने अपने वाद के पक्ष में, प्रदर्श–01/01 पासपोर्ट की छायाप्रति व प्रदर्श–02/01 भामाशाहकार्ड की छायाप्रति व प्रदर्श–03/01 आधार कार्ड की छायाप्रति व प्रदर्श–04/01 ता 05/01 परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति व प्रदर्श–06 ता 07 जमाबन्दीयाँ पेश की है। तहसीलदार डीडवाना ने पत्रांकः 2099 दिनाँक 25.09.2019 पेश की है। वादी द्वारा पेश प्रदर्शों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ प्रदर्शों में दर्ज है व वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ है जिसे वादी अपने वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज नाम "सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" को "हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" दुरस्त करवाना चाहता है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 02, 5/1 ता 5/6 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हो चुका है तथा तहसीलदार डीडवाना ने भी अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 333/2019
दायर दिनाँक 08.10.2018, निर्णय दिनाँक 03.10.2019
हमीद खाँ बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

लिहाजा, सरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 50 रकबा 03.13 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 21.02 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 28.04 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 07.03 बीघा भूमि तथा सरहद जाखड़ों का बास में खसरा नम्बर 437 रकबा 07.18 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" को "हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" दुरस्त किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, निम्न आदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 50 रकबा 03.13 बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 21.02 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 28.04 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 07.03 बीघा भूमि तथा वाके सरहद जाखडों का बास की भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 07.18 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "सलेम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" के स्थान पर "हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अंशुलसिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.10.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुलसिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुलसिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **333/2019** दायर दिनाँक **08.10.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हमीद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, उम्र–67साल, जाति–कायमखानी, निवासी–अलखपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. कासम खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, 3. रसूल खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, 4. मोती खाँ पुत्र अलाबदी खाँ, 5. मुराद खाँ पुत्र अलाबदी खाँ (फौत), के वारिसान्– 5/1 गुलशनबानो पत्नी स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/2 ताजखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/3 न्याजखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/4 नवाबखाँ पुत्र स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/5 हसीना पुत्री स्वर्गीय मुरादखाँ, 5/6 जरीना पुत्री स्वर्गीय मुरादखाँ, 6. जड़ावबानो पत्नी स्वर्गीय अलाबदी खाँ, समस्तजाति–कायमखानी, निवासी–अलखपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रिकॉर्ड दुरस्ती, अन्तर्गत धारा 136 R.T. Act.

दिनाँक **03.10.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इकबाल, वकील, वादी व सुश्री तन्जीम सिद्दीकी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 04, 5/1, 5/5 व 5/6 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद अलखपुरा में खसरा नम्बर 50 रकबा 03.13

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा व खसरा नम्बर 58 रकबा 21.02 बीघा व खसरा नम्बर 80 रकबा 20.04 बीघा व खसरा नम्बर 81 रकबा 07.03 बीघा भूमि तथा वाके सरहद जारवड़ो का बास की भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 07.18 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम "सलेम खाँ पुत्र अलावदी खाँ" के स्थान पर "हमीद खाँ पुत्र अलावदी खाँ" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

मीजान.........–......... मुबलिग.........–......... बाबत.........
.........–.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.10.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner